



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012021-224596
CG-DL-E-21012021-224596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942

No. 265]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

का.आ. 286(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4217(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में NH44 के कि.मी. 65.85 से कि.मी. 86.38 (लघु सचिवालय पानीपत) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05 दिसंबर 2020" को "दैनिक जागरण" और "द ट्रिब्यून" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में NH44 के कि.मी. 65.85 से कि.मी.86.38 (लघु सचिवालय पानीपत) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा		जिले का नाम: पानीपत			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: समालखा				
	गांव का नाम: पट्टी कलियाणा				
1	97// 27	निजी	गैर-कृषि	0.0227641	श्रीमती जगवती पुत्री पन्नालाल पुत्र लेखुराम ब्रह्म प्रकाश पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह श्रीमती ईशा पुत्री रधुबीर सिंह पुत्र शिवदयाल रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल पुत्र लेखुराम सन्दीप, मन्दीप पुत्रान रामपाल पुत्र पन्नालाल मुकेश कुमार, महेश कुमार पुत्रान वेदप्रकाश पुत्र पन्नालाल (97// 27)
			कुल	0.0227641	

[फा.सं. NHAI/PIU-Sonipat/DLI-PNP/Land/20-21/3D4]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, 20th January, 2021

S.O. 286(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O No. 4217 (E) dated 25 November 2020**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and

operation of NH44 on the stretch of land from Km. 65.85 to Km. 86.38 (Mini Secretariat, Panipat) in the district of PANIPAT in the state of HARYANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in **“Dainik Jagran” and “The Tribune” both dated 5 December 2020;** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH44 in the stretch of land from Km. 65.85 to Km. 86.38 (Mini Secretariat, Panipat) in the district of PANIPAT in the State of HARYANA.

State: HARYANA		District: PANIPAT			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Samalkha				
	Village: Patti Kalyana				
1	97// 27	Private	Non Agricultural	0.0227641	Mrs. Jagawati daughter Pannalal son Lekhram Brahm Prakash son Mahendra Singh son Bharat Singh Mrs. Isha daughter Radhubir Singh son Shiv Dayal Ramchandra son Pannalal son Lekhram Sandeep, Mandeep Putran Rampal son Pannalal Mukesh Kumar, Mahesh Kumar son Vedprakash son Pannalal 97// 27
			TOTAL	0.0227641	

[F. No. NHAI/PIU-Sonipat/DLI-PNP/Land/20-21/3D4]
RAJESH GUPTA, Director